
	<p style="text-align: center;">जनसंपर्क अधिकारी मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय रामनगर सृष्टी, मिरारोड पुर्व ता.जि.ठाणे फोन नं. ०२२-२९४५१००१ Mail ID- pro.cp.mb-vv@mahapolice.gov.in</p>	 <p style="text-align: center;">स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रेसनोट क्रमांक ३३५-२२

दिनांक ११/११/२०२२

वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला दलालावर कारवाई करून दोन पिडीत महिलांची सुटका-अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध शाखा, वसई यांची कारवाई.

वालीव पोलीस ठाण्याचे हद्दीत बी/३०५ रिलायबल गार्डन बिल्डींग जुचंद्र रोड नायगाव पुर्व ता.-वसई जि.पालघर येथे एक महिला वेश्यादलाल वेश्यागमननाकरीता तिच्या राहत्या फ्लॅटवर मुली पुरवीत असल्याची गोपनीय माहिती दिनांक ९/११/२०२२ रोजी पोलीस निरीक्षक संतोष चौधरी यांना मिळाली. त्यानुसार पोनि चौधरी, पोउपनिरी/प्रकाश विक्रम निकम, पोहवा/९५०३५ बापु महारू पवार, पोहवा/०५०२८ रोशन नारायण किणी, मपोशि/काजल पाटील, चालक पोहवा/०७०६६ सुनिल विष्णु पागी,सर्व नेम. अनै.मा.वा.प्र.कक्ष नालासोपारा तसेच मपोशि/१३०९८ माया भोर नेम-भरोसा सेल वसई यांनी बोगस गि-हार्डक तयार करून त्यास नमुद वेश्यादलाल हिला वेश्यागमनासाठी मुलींची मागणी केली असता तिने व्हॉट्सअॅपवर दोन मुलींचे फोटो पाठवून ५०००/- रुपये मोबदला सांगितला. त्यानंतर बोगस गि-हार्डक व दोन पंचासह सदर ठिकाणी जावून छापा टाकला त्यामध्ये एक महिला दलाल आरोपी वय ३९ वर्षे हिस ताब्यात घेतले व दोन पिडीत महिलांची वेश्याव्यवसायापासून सुटका केली आहे.

सदरबाबत वालीव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजि.नं ११७८/२०२२ भादं विस कलम ३७० अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६ चे कलम ३,४,५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून महिला आरोपीतास अटक करण्यात आली आहे.

सदरची कारवाई श्री विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे), श्री अमोल मांडवे, सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांचे मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध शाखा, वसई युनिटचे पोनि/संतोष चौधरी व उपरोक्त स्टाफ यांनी केली आहे.

---०००---